कार्यालय प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग

27-28 निर्माण भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
Website : www.mppwd.gov.in Email : pwdbhop@mp.nic.in
Phone No.– 0755-2551485, Fax – 2556527

क्रमांक प्रअ/लोनिवि/सर्कुलर/सामान्य/2018/1234 भोपाल,दिनांक 01/10/2018

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश।
2. समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश।
3. समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश

विषय : सड़क सुरक्षा की दृष्टि से मार्गों का नियमित निरीक्षण ।

--00--

शासन द्वारा समय–समय पर मार्गों के निरीक्षण के संबंध में परिपत्र जारी किये गये हैं । सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं के दृष्टिगत मार्गों पर ब्लेक स्पॉट चिन्हित करने का कार्य पुलिस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, जिस हेतु विभाग द्वारा सड़क सुधार की कार्रवाई भी की जा रही है। सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं की समुचित रोकथाम हेतु सड़कों का समय पर निरीक्षण किया जाना तथा निरीक्षण में पाई गई कमियों को त्वरित रूप से दूर किया जाना आवश्यक है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जन धन की क्षति को नियंत्रित किया जा सके।

इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के निरीक्षण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. **उपयंत्री** – क्षेत्राधिकार की सड़कों का 15 दिवस में कम से कम एक बार सघन निरीक्षण करेंगे। .
2. **सहायक यंत्री** – क्षेत्राधिकार की सड़कों का 1 माह में कम से कम एक बार सघन निरीक्षण करेंगे।
3. **कार्यपालन यंत्री** – क्षेत्राधिकार की सड़कों का 3 माह में कम से कम एक बार सघन निरीक्षण करेंगे।
4. **अधीक्षण यंत्री** – क्षेत्राधिकार की सड़कों का 6 माह में कम से कम एक बार सघन निरीक्षण करेंगे।

निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी निम्न बिन्दुओं पर लिखित में नियंत्रणकर्ता अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे –

- हाल ही में पूरे किये गये कार्यों पर दोष दायित्व अवधि (Defect Liabilty Period) में ठेकेदारों द्वारा दोषों के सुधार की अनुबंध में दिये गये दायित्वों के अनुसार स्थिति।
- समस्त मार्गों के रख–रखाव, पेच रिपेयर एवं सड़क सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं की पर्याप्तता संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार।

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मेंटेनेन्स मेन्यूअल के अनुसार समस्त मार्गों पर रख–रखाव की स्थिति।

- चिन्हित ब्लैक स्पॉट के स्थानों पर तात्कालिक सुधार एवं दीर्घकालीन सुधारों की स्थिति।

- दुर्घटना संभावित स्थानों पर तात्कालिक सुधार एवं दीर्घकालीन सुधारों की आवश्यकता।

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं जिनका पालन सुनिश्चित किया जाये।

01.10.2018

अखिलेश अग्रवाल
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल

पृ. क्रमांक प्रअ/लोनिवि/सर्कुलर/सामान्य/2018/1235 भोपाल,दिनांक 01/10/2018

प्रतिलिपि –

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल।

01.10.2018

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल

"चेक लिस्ट"

मार्गों के रख–रखाव, पेच रिपेयर एवं सड़क सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं की पर्याप्तता हेतु आवश्यक बिन्दु।

1. मार्ग का रख–रखावः–

i. पेच रिपेयर के कार्य की स्थिति तथा गढ्ढा मुक्त सड़क सुनिश्चित करना।

ii. सड़क की सतह निर्धारित मापदण्डों से अधिक उबड़–खाबड़ पाये जाने पर नवीनीकरण के प्रस्ताव की स्थिति।

iii. सड़क की डामरीकृत सतह के दोनों ओर शोल्डर्स की सतह की स्थिति।

iv. सड़क की डामरीकृत सतह पर दरारें (Cracks), ब्लीडिंग, रटिंग, रिवेलिंग अथवा स्ट्रिपिंग की स्थिति एवं मजबूतीकरण की आवश्यकता।

v. सड़क की डामरीकृत सतह की edge की क्षति।

vi. शोल्डर्स पर से निर्माण सामग्री अथवा अन्य कूड़ा–करकट को हटाना।

vii. शोल्डर्स पर rain cuts की स्थिति।

viii. सड़क एवं शोल्डर्स पर केम्बर की स्थिति।

ix. शोल्डर्स तथा साईड स्लोप पर से झाड़ियों को हटाने का कार्य।

2. पुल–पुलियों का रख–रखावः–

i. वियरिंग कोट पर दरारें या गढ्ढे।

ii. Expansion Joint की स्थिति।

iii. पुलों पर रेलिंग की स्थिति।

iv. पुल–पुलियों पर नदी/नाले के दोनों ओर सड़क से जुड़ाव स्थल पर यदि कोई क्षति है तो उसका आंकलन।

v. पहुंचमार्गों के सार्डड स्लोप की स्थिति।

vi. एप्रोच स्लेब की स्थिति।

vii. बहाव को बाधा मुक्त रखने हेतु नदी/नालों पर के बेड से झाड़ियों को हटाने का कार्य।

viii. पुल–पुलियों के foundation, sub-structure एवं super structure में यदि कोई क्षति है तो।

ix. Bearing के आस–पास सफाई एवं यदि कोई क्षति है तो।

x. पुल–पुलियों के पहुंचमार्गों पर क्रेश बेरियर की आवश्यकता।

xi. सकरे पुल–पुलियों के चौड़ीकरण की आवश्यकता।

3. सड़क सुरक्षा से जुड़े बिन्दुः–

i. सड़क की सतह पर रोड मार्किंग की स्थिति।

ii. आवश्यक साईन बोर्ड की स्थिति।

iii. घुमाव वाली जगहों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थायें जैसे road marking, road signages, chevron, delineators, blinkers एवं cat eyes.

iv. आवश्यक स्थानों पर गति सीमा के साईन बोर्ड।

v. जंक्शन्स पर आवश्यक रोड साईनेज़ेस एवं केट आईज़।

vi. सड़क के दोनों ओर वृक्षों के तनों की पुताई एवं रिफ्लेक्टर्स।

vii. जिन स्थानों पर सड़क की ऊँचाई अधिक है वहां क्रेश बेरियर की आवश्यकता।

4. दुर्घटना संभावित स्थलः–

i. रोड साईनेज़ेस एवं सुरक्षा उपकरण जैसे road marking, road signages, chevron, delineators, blinkers एवं cat eyes आदि की पर्याप्तता।

ii. दर्घटना के कारणों को दूर करने हेतु तात्कालिक एवं दीर्घकालीन उपायों पर रिपोर्ट।